प्रेस नोट दिनांक 02.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से निर्गत एनबीडब्ल्यू/गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में मु0अ0सं0 18/2005 धारा 323/504/304 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त मोहनलाल पुत्र महंगू सरोज, निवासी ग्राम मगरहर, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से दिनांक 02.11.2026 को समय करीब 06:45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
1.मोहनलाल पुत्र महंगू सरोज, उम्र करीब 65 वर्ष, निवासी ग्राम मगरहर, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम:
उ0नि0 सरनाम सिंह, हे0का0 जय प्रकाश मिश्रा, का0 विक्रम सिंह, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा साइबर धोखाधड़ी एवं खान एवं खनिज अधिनियम से संबंधित अभियोग में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोबाइल फोन बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी के निरीक्षक श्री शुभनाथ साहनी मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 451/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 61(2) बीएनएस, 66(C), 66(D), 43 आईटी एक्ट एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम से संबंधित 02 अभियुक्तों 1-पुष्पेन्द्र कुमार प्रजापति पुत्र छोटेलाल, निवासी लौंडा पहाड़, थाना कबरई, जनपद महोबा, उम्र करीब 27 वर्ष, 2-योगेन्द्र सिंह उर्फ योगेन्द्र राना उर्फ पवन पुत्र बरातीलाल, निवासी लौंडा पहाड़, थाना कबरई, जनपद महोबा, उम्र करीब 20 वर्ष को दिनांक 02.11.2026 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की जामा तलाशी से 02 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए, जिन्हें नियमानुसार मालखाने में दाखिल किया गया। गिरफ्तारी के संबंध में माननीय मानवाधिकार आयोग एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया तथा अभियुक्तों के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई। अभियुक्तों का चिकित्सीय परीक्षण कराकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-पुष्पेन्द्र कुमार प्रजापति पुत्र छोटेलाल, निवासी लौंडा पहाड़, थाना कबरई, जनपद महोबा, उम्र करीब 27 वर्ष।

2-योगेन्द्र सिंह उर्फ योगेन्द्र राना उर्फ पवन पुत्र बरातीलाल, निवासी लौंडा पहाड़, थाना कबरई, जनपद महोबा, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद मोबाइल फोन Vivo V40e, रंग सिल्वर व 01 अदद मोबाइल फोन Vivo Y28 5G, रंग आसमानी।

पुलिस टीम-

निरीक्षक श्री शुभनाथ साहनी, उ0नि0 मिथिलेश कुमार राय, हे0का0 धर्मवीर सिंह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।